**कोर्ट केस/महत्वपूर्ण/समयबद्ध**

**संख्या:10/2015/108जेएल/22-3-14-17जी/2014**

**प्रेषक,**

**आलोक रंजन,**
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

**सेवा में,**

**समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,**
उ0प्र0 शासन।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3*** ***लखनऊ: दिनाक: 15 जनवरी, 2015***

**विषय-** क्रिमिनल मिस ट्रान्सफर एप्लीकेशन सं0-154/2012 (उ0प्र0 राज्य बनाम शरीफ उर्फ सुहेल उर्फ साजिद उर्फ अली उर्फ अनवर उर्फ संदीप बरनवाल व अन्य) संबंधित सत्र परीक्षण संख्या-210/2008, संबंधित मु0अ0सं0-08/2008, 208/2008, 209/2008 तथा 210/2008, थाना-सिविल लाइन्स, जनपद-रामपुर के संबंध में।

**महोदय,**

क्रिमिनल मिस ट्रान्सफर एप्लीकेशन सं0-154/2012 (उ0प्र0 राज्य बनाम शरीफ उर्फ सुहेल उर्फ साजिद उर्फ अली उर्फ अनवर उर्फ संदीप बरनवाल व अन्य) में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दि0 13.10.14 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि न्यायालयों में विचाराधीन आपराधिक प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु उक्त आदेश दि0 13.10.14 का कड़ाई से अनुपालन करते हुए अपने स्तर से समस्त संबंधित को अविलम्ब यथोचित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें और उनकी प्रतिलिपि कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 को एक सप्ताह में उपलब्ध करायें। मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश का कार्यकारी अंश निमनवत् है :-

> "I also direct the Chief Secretary, Government of U.P. Lucknow as well as Principal Secretary, Home, Government of U.P., Lucknow to deliberate upon this aspect of the mater, as the similar difficulty is being faced across the State, by all Courts, seized with criminal matters, on account whereof criminal trial and criminal cases are not being decided expeditiously; to ensure presence of Government Officials, appearing as witness, in the concerned Court(S) as a rule and absence should be exceptional and rare and for justified reasons. They should also for formulate certain guidelines ensuring for appropriate disciplinary action against erring officials."

**2-** आप अवगत हैं कि न्यायालयों में विचाराधीन आपराधिक प्रकरणों के निस्तारण में होने वाले विलम्ब के मुख्यतम कारणों में से एक कारण यह है कि उक्त प्रकरणों में साक्षीगण के रूप में शासकीय कर्मीगण आदि की उपस्थिति समय से नहीं हो पाती है जिसके कारण

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

न्यायिक कार्यवाही विलम्बित होती है। यदि उनकी अनुपस्थिति के कारण अपरिहार्य हैं तो संबंधित न्यायालय को समयान्तर्गत सक्षम स्तर द्वारा तदनुसार अवगत कराया जाना चाहिए और न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली आगामी तिथि में संबंधित की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए। जो शासकीय कर्मीगण सूचना के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं और उपस्थित न होने का समुचित एवं संतोषजनक कारण न्यायालय को समय से सूचित नहीं करते हैं, उनके विरूद्ध यथोचित कार्यवाही भी की जानी चाहिए।

कृपया उपरोक्तानुसार मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

**संलग्नक:यथोक्त।**

**भवदीय,**

**(आलोक रंजन)**
**मुख्य सचिव।**

**संख्या एवं तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

**1-** प्रमुख सचिव, न्याय, उ0प्र0 शासन को उपरोक्त के संबंध में एक पक्ष में दिशा-निर्देश निर्गत कराने हेतु।

**2-** सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।

**3-** पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।

**4-** महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्स्य सेवायें, उ0प्र0।

**5-** महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0।

**संलग्नक:यथोक्त।**

**आज्ञा से,**

**(एस0के0 रघुवंशी)**
**सचिव।**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in